



भारत का राजपत्र The Gazette of India.

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 1992/कार्तिक 21, 1914
No. 718] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 1992/KARTIKA 21, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मन्त्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नए दिल्ली, 10 नवम्बर, 1992

का आ 833(अ) - राष्ट्रपति, मन्त्रिमंडल के अन्तर्गत 77 - खण्ड (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्गु आक्ट) नियम 1961 का
और मशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् --

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्गु आक्ट) (दो सो
ठकीसवा मशोधन) नियम 1992 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में,—

(क) “वाणिज्य मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “वाणिज्य विभाग” उप-शीर्षक के नीचे क्रम संख्यांक 12 के मद (घ) और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) भारत व्यापार संवर्धन संगठन”;

(ख) “पर्यावरण और वन मंत्रालय” शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“7क. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16),

7ख. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59),

7ग. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53),

7घ. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69),

7ङ. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29),

7च. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6)।”;

(ग) “खान मंत्रालय” शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 1 में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए विधायन जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय मागरे खण्ड या महा-द्वीपीय मन्तलट भूमि के भीतर या भारत का अनन्य आधिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जो संसद् द्वारा बनाई गई किमी विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, समुद्र अधःशायी खाने और खनिज भी है।”

(शंकर दयाल शर्मा),

राष्ट्रपति

[सं. 74/2/10/92-मंत्रि.]

संजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1992

S.O. 833(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and twenty first Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)”, under sub-heading “A DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)”, in serial number 12 for item (d) and entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(d) India Trade Promotion Organisation.”;

(b) under the heading “MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)”, after serial number 7 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“7A. The Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927).

7B. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).

7C. The Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

7D. The Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980).

7E. The Environment (Protection) Act 1986 (20 of 1986).

7F. The Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991).”;

(c) under the heading “MINISTRY OF MINES (KHAN MANTRALAYA)”, in serial number 1, for item (i) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(i) Legislation for regulation of mines and development of minerals within the territory of India, including mines and minerals underlying the ocean within the territorial water or the

continental shelf, or the exclusive economic zone and other maritime zones of India as may be specified, from time to time, by or under any law made by Parliament.”.

(SHANKAR DAYAL SHARMA),
President

[No. 74/2 10/92-Cab]
SANJIV MISRA, Jt Secy.